मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 3947/3156/2018/19/यो — भोपाल दिनांक 06/09/2018

प्रति,

1 प्रबंध संचालक
म0प्र0 रोड़ डेव्हलपमेंट
कार्पोरेशन लिमिटेड
भोपाल।

2 प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

3 परियोजना संचालक
लोक निर्माण विभाग
परियोजना क्रियान्वयन इकाई
भोपाल।

4 मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग
समस्त परिक्षेत्र
मध्यप्रदेश।

5 समस्त अतिरिक्त परियोजना संचालक
लोक निर्माण विभाग
परियोजना क्रियान्वयन इकाई
मध्यप्रदेश।

विषयः– परफारमेंस गारंटी की राशि का भुगतान करने के संबंध में।

संदर्भः– 1 म0प्र0 शासन का पत्र क्रमांक एफ–58/1/11/यो/19/350–51 दिनांक 11.03.2011
2 प्रमुख अभियंता की कार्यालयीन टीप क्रमांक 401/सा/विविध/063/781 भोपाल, दिनांक 16.07.2018

---0---

शासन के आदेश क्रमांक एफ–58/1/11/यो/19/350–51 भोपाल, दिनांक 11.03.2011 के द्वारा विभाग के अंतर्गत परफारमेंस गारंटी के अंतर्गत आने वाले कार्यो के निरीक्षण के संबंध में निर्देश जारी किये गये है। तद्नुसार यह निर्धारित किया गया है कि अधीक्षण यंत्री के द्वारा मार्ग की परफ़ारमेंस गारंटी की अवधि समाप्त होने पर निरीक्षण उपरांत मार्ग की स्थिति से संतुष्ट होने की स्थिति में निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा, तथा प्रमाण पत्र के आधार पर ही कार्यपालन यंत्री द्वारा ठेकेदार की परफारमेंस गारंटी की राशि विमुक्त की जायेगी।

उक्त परिपत्र में संशोधन करते हुये निम्नानुसार कंडिका अतिरिक्त रूप से सम्मिलित की जाती है:–

"यदि किसी प्रकरण में अधीक्षण यंत्री कार्य की परफारमेंस गारंटी अवधि समाप्त होने के तीन माह की समय सीमा में मार्ग का निरीक्षण कर ठेकेदार की परफारमेंस गारंटी की राशि विमुक्त करने के संबंध में निर्णय नहीं लेते है, तो ऐसी स्थिति में यह मान लिया जायेगा कि अधीक्षण यंत्री मार्ग की स्थिति के संबंध में संतुष्ट है, तथा कार्यपालन यंत्री, ठेकेदार की परफारमेंस गारंटी की राशि वापिस करने का निर्णय ले सकेगें। यदि मार्ग की स्थिति के संबंध में भविष्य में कोई विपरित स्थिति निर्मित होती है तो इसके लिये संबंधित अधीक्षण यंत्री, जिम्मेदार होगें।

सहपत्रः–शून्य

6.09.18

(आर0 के0 मेहरा)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग

पृ0 कमांक /3156/2018/19/यो भोपाल दिनांक /09/2018
प्रतिलिपिः–

1 समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग मण्डल कार्यालय मध्यप्रदेश।
2 समस्त संयुक्त परियोजना यंत्री, लोक निर्माण विभाग पी0आई0यू0 मध्यप्रदेश।
3 समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग कार्यालय मध्यप्रदेश।
4 समस्त संभागीय परियोजना यंत्री, लोक निर्माण विभाग पी0आई0यू0 मध्यप्रदेश।

सहपत्रः–शून्य

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग